

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुरा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 421 / आउशि / अका.प्र. / 08
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 25/4/09


1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
म0प्र0
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय, म0प्र0

विषय:- सत्र 2008-09 में सेमेस्टर पद्धति हेतु स्नातक स्तर के अध्यादेश में संशोधन कर एक विषय के स्थान पर दो विषयों में ए.टी.के.टी. दिये जाने विषयक।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 207 / 09 / सीसी / अड.टी.स, भोपाल दिनांक 24.4.09

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2008-09 सेमेस्टर पद्धति हेतु स्नातक स्तर में एक विषय के स्थान पर दो विषयों में ए.टी.के.टी. दिये जाने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


(डॉ० प्रभा वर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, म0प्र0